:: निविदा की शर्तें ::

1. निविदा 02 सील बंद लिफाफे में अ एवं ब में प्रस्तुत करना होगा। अ लिफाफे में सुरक्षानिधि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा ब लिफाफे में निविदा भाव पत्र भरना होगा। सुरक्षानिधि वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा। पर्याप्त सुरक्षानिधि एवं आवश्यक दस्तावेज होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा भाव पत्र को खोला जायेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
2. सील बंद लिफाफे अ में निविदाकार को सुरक्षा निधि के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
   (i) जीवित जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन फार्म 06/25 की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
   (ii) पेन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
   (iii) आयकर रिटर्न की वर्तमान एवं विगत 01 वर्ष का स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
   (iv) शासकीय, अर्धशासकीय, सहकारी समिति/भण्डार में सब्जी सप्लाई करने का अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
   (v) फर्म के लेटर हेड जिसमें फर्म का पूर्ण पता तथा जीवित जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो, में निविदा के लिए आवेदन करना होगा।
   (vi) फर्म के लेटर हेड में अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता नहीं होने बाबत् स्वयं द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।
3. निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 1% सुरक्षा निधि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम अनुसार जमा किया जायेगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर तथा शेष असफल निविदाकार की राशि निविदा खोले जाने की तिथि के पन्द्रह दिवस पश्चात वापस लौटा दी जावेगी। सुरक्षा निधि की राशि नगद स्वीकार नहीं होगी। यह राशि चालान, बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ. डी. के माध्यम से जमा की जा सकेगी।
4. सफल निविदाकार को जेल पूर्ति नियम 1968 के नियम 10(ग) के अनुसार अनुमानित क्रय मूल्य के 10% की राशि के बराबर शोध क्षमता प्रमाण पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर., जिसे जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर के नाम से जमा करना होगा, ताकि आपूर्तिकर्ता के बीच में प्रदाय बंद किये जाने पर भी आपूर्ति बाधित न हो। इसके पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावेगा।
5. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, का पत्र क्र. 45/मु.स.का./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.01.2020 के अनुसार यदि ताजी सब्जियों की आपूर्ति महिला स्वसहायता समूह द्वारा की जायेगी तो ठेकेदार से सब्जी क्रय नहीं किया जावेगा।
6. ताजी सब्जियां बंदियों की संख्या अनुसार प्रति दिन मांग के अनुसार ली जावेगी। नियत समय तक सामग्री प्राप्त न हुआ तो प्रदायकर्ता को किसी प्रकार के नोटिस दिए बगैर तत्काल सामाग्री बाजार से क्रय कर लिया जावेगा एवं शासन की हानि के पूर्ति के लिए संबंधित व्यापारी की धरोहर की राशि से काट ली जावेगी तथा निविदाकार एवं उसकी फर्म इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।
7. जेल अधीक्षक क्रय समिति की अनुशंसा पर क्रय हेतु बाध्य नहीं है। निविदाओं के परीक्षण पश्चात् यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है। जेल अधीक्षक यह भी देखेगा कि किसी फर्जी फर्म द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है के बारे में यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कार्य का ज्ञान है। वित्तीय दृष्टि से वह सुदृढ़ है। भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निरीक्षण भी कर सकता है।
8. सफल निविदाकार को रू0 100/– के दो स्टाम्प पेपर में करारनामा एवं सत्यनिष्ठा संधि दो दिवस के अन्दर जमा करना होगा। करारनामा एवं सत्यनिष्ठा संधि विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश किया जावेगा।
9. निविदा खोले जाने की तिथि 11.07.2022 एवं समय शाम 4:00 बजे है।
10. निविदायें उपस्थित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि तथा क्रय समिति के समस्त सदस्यों के सामने खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।
11. पृथक से कोई भी कर देय नहीं होगा।

12. निविदा में दर्शायी गई सफल निविदाकार की दरें निविदा दिनांक 31.12.2022 तक अथवा आगामी 2022–23 की अर्द्धवार्षिक निविदा तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगी, निविदा बिना किसी शर्त के या कारण बताऐ किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
13. नियमानुसार देयकों के भुगतान पर निर्धारित वैट टैक्स/जी.एस.टी. काटकर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
14. निविदाकार को अपने व्यय से सामग्री की प्रदायगी जेल गेट पर अपने अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं के व्यय पर करना होगा।
15. निविदाकार की किसी भी प्रकार की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
16. उपरोक्त सब्जियों में से जो सब्जी जेल बगीचे से उपलब्ध होगी व सब्जी उतनी मात्रा में व्यापारी से कम क्रय की जावेगी या नहीं ली जावेगी।
17. निविदाकार को निविदा की वस्तुओं का मूल्य अंको एवं शब्दों में सुलेख/सुस्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। उपरीलेखन तथा काट–छांट किये गये निविदा को विचारण क्षेत्र में नहीं रखा जायेगा।
18. निविदा विहित फार्म की प्रति एवं निविदा से संबंधित जानकारी रू0 1000/– का नगद भुगतान करने पर कार्यालय अधीक्षक केंद्रीय जेल रायपुर से प्राप्त की जा सकती है, यह राशि किसी भी दशा में वापस योग्य नहीं होगी।
19. प्रत्येक सब्जी के भाव पृथक से भरे जावेंगे।
20. क्रय की जाने की समाग्री की मात्रा एवं संख्या में कमी या वृद्धि क्रय अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
21. निविदाओं का अनुमोदन महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ0ग0 रायपुर द्वारा किया जावेगा। महानिदेशक जेल का विशेषाधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को अमान्य करेगा। यथा निविदा की पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।
22. निविदा फार्म निविदा दिनांक के एक दिवस पूर्व अवकाश दिवस छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है।
23. सब्जियों का मांग पत्र, दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार दिया जावेगा, सामग्री क्रय हेतु जेल नियम लागू होगा।
24. निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जेल अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में पत्राचार नहीं किया जायेगा। समस्त निविदाओं के लिए जेल अधीक्षक (अध्यक्ष) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
25. सफल निविदाकारों को जितनी सामग्री प्रदाय हेतु मांग पत्र प्रेषित् की जावेगी उतनी सामग्री प्रदाय करनी होगी सामग्री की मात्रा कम या अधिक प्रदाय किये जाने पर सफल निविदाकार की निविदा कभी भी निरस्त कर दी जावेगी। तथा द्वितीय निविदाकार से उसी दर पर या खुले बाजार से सामग्री क्रय किया जावेगा। यदि उक्त सामग्री क्रय करने के लिए शासन को क्षति पहुंचती है तो क्षति की वसूली उक्त निविदाकार से की जावेगी।

जेल अधीक्षक
केंद्रीय जेल रायपुर
छत्तीसगढ़